भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1144
08 दिसंबर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जन स्वास्थ्य योजनाएं

1144. श्री धनुष एम. कुमार:
श्री जी. सेल्वम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश भर में सामान्य जन स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो आगामी वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं को कार्यानवित करते समय सरकार को 'किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ऐसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि आबंटित और उपयोग की गई तथा इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल की गई है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मौजूदा उप केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का रूपांतरण करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर पूर्ववर्ती आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) का प्रचालन करना, संविदा आधार पर स्वास्थ्य मानव संसाधन को नियोजित करने संबंधी सहायता, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाईल मेडिकल यूनिट्स, आशाकर्मी, अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, 24x7 सेवाएं और प्रथम रेफरल सुविधाएं, मेरा अस्पताल, कायाकल्प पुरस्कार योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यान्वयन और संबंधित क्रियाकलाप, लक्ष्य प्रमाणन, बायोमेडिकल उपकरण रखरखाव और प्रबंधन कार्यक्रम, नि: शुल्क नैदानिक सेवा पहल और नि: शुल्क औषधि सेवा पहल शामिल हैं। इसके अलावा, मिशन परिवार विकास, किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी), साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड संपूरण (डब्ल्यूआईएफएस), माहवारी स्वच्छता योजना, सुविधाकेंद्र आधारित नवजात शिशु परिचर्या (एफबीएनसी), गृह आधारित नवजात शिशु परिचर्या कार्यक्रम, सामाजिक जागरूकता और निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने संबंधी कार्य (एसएएएनएस), छोटे बच्चों के लिए गृह आधारित

परिचर्या (एचबीवाईसी), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास (ईसीडी), व्यापक गर्भपात परिचर्या (सीएसी), एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए), पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) कार्यक्रम और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जैसी पहलें की गई हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के तहत आगामी दो वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों में शामिल हैं:

नवजात मृत्यु दर को वर्ष 2025 तक 22/1000 जीवित जन्मों से घटाकर 16 तक और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को 35 प्रति 1000 जीवित जन्मों से घटाकर वर्ष 2025 तक 23 तक किया जाना है।

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत ने वर्ष 2025 तक तपेदिक को उन्मूलित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

एनएचएम के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार, आवंटित और निर्गत निधि अनुलग्नक में दी गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

वर्तमान में मातृ मृत्यु अनुपात 97 है, शिशु मृत्यु दर 28 है और कुल प्रजनन दर 2 है।

*****

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए एनएचएम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार, आवंटित और निर्गत निधियों का विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		आवंटित	निर्गत	आवंटित	निर्गत	आवंटित	निर्गत	आवंटित	निर्गत
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	39.02	36.91	41.62	43.68	45.95	45.26	45.72	25.07
2	आंध्र प्रदेश	1079.09	1097.81	1237.95	1199.37	1,182.93	1,489.45	1,283.99	579.41
3	अरुणाचल प्रदेश	236.60	243.04	294.27	188.53	272.48	233.82	268.12	207.70
4	असम	1483.91	1807.48	1732.64	1955.93	1,615.70	1,981.83	1,499.31	1,110.87
5	बिहार	1849.38	1814.63	2026.69	1748.76	1,853.57	1,586.57	1,862.34	915.87
6	चंडीगढ़	24.75	22.21	26.30	17.47	31.73	38.09	32.48	19.19
7	छत्तीसगढ	958.45	979.41	985.85	969.61	949.94	1,195.08	819.49	371.63
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	39.89	36.39	46.15	38.59	51.18	58.28	50.86	17.87
9	दिल्ली	165.69	125.73	179.64	127.37	164.98	35.15	169.86	73.64
10	गोवा	36.23	34.81	40.57	26.01	38.13	55.42	37.52	30.74
11	गुजरात	946.75	1005.66	1147.40	1094.48	1,059.03	1,120.06	1,061.61	864.03
12	हरियाणा	519.03	531.50	566.85	577.07	501.71	681.21	502.56	365.63
13	हिमाचल प्रदेश	421.35	441.94	507.47	555.09	472.62	494.65	464.46	312.98
14	जम्मू और कश्मीर	616.26	667.46	716.25	459.10	659.02	651.52	647.57	411.86
15	झारखंड	691.72	602.80	933.20	640.18	853.19	810.30	757.64	430.70
16	कर्नाटक	1125.91	1232.19	1305.23	1274.71	1,129.18	1,246.67	1,134.32	607.99
17	केरल	753.30	788.22	784.68	771.47	746.63	1,036.76	802.62	154.32
18	लक्षद्वीप	7.23	7.11	9.53	8.41	10.55	9.97	9.44	3.72
19	मध्य प्रदेश	2247.97	2377.14	2220.09	2295.66	2,056.81	2,582.10	2,041.49	1,268.40
20	महाराष्ट्र	1790.69	1833.59	1938.87	1769.67	2,006.38	2,187.13	2,118.50	1,532.37
21	मणिपुर	174.98	189.49	207.19	95.59	192.47	61.40	192.17	97.20
22	मेघालय	154.53	202.63	211.03	282.46	196.26	261.56	193.80	138.85
23	मिजोरम	117.39	143.73	140.94	93.82	132.58	111.82	132.56	67.08
24	नगालैंड	156.19	188.21	175.46	126.66	164.27	91.38	163.01	104.68
25	ओडिशा	1465.69	1617.63	1238.50	1263.07	1,163.82	1,284.69	1,158.18	949.15
26	पुदुचेरी	30.72	25.55	36.58	21.33	36.49	20.73	36.07	16.61
27	पंजाब	555.46	568.14	488.28	349.21	448.58	448.89	457.90	51.11
28	राजस्थान	2018.67	2000.58	2024.38	1924.95	1,867.04	1,460.80	1,953.03	1,320.91
29	सिक्किम	62.09	70.13	71.50	51.86	67.47	73.30	66.33	28.56
30	तमिलनाडु	1433.71	1522.71	1533.20	1631.91	1,373.29	1,652.24	1,432.42	1,098.42
31	त्रिपुरा	186.91	225.91	238.22	217.95	222.50	231.90	224.25	135.88
32	उत्तर प्रदेश	3591.98	3772.95	4419.86	3235.46	4,130.21	5,133.59	4,250.72	2,478.98
33	उत्तराखंड	563.05	583.25	629.00	553.47	491.17	505.01	483.17	320.22
34	पश्चिम बंगाल	1809.71	1895.01	1643.35	1654.26	1,439.37	1,252.32	1,510.89	752.80
35	तेलंगाना	627.62	671.88	825.48	725.67	767.82	683.77	766.61	514.55
36	लद्दाख	89.28	91.89	112.15	44.79	124.65	94.94	123.31	61.14

नोट:

1. यह आवंटन मूल परिव्यय/बजट अनुमान के अनुसार है।

2. उपर्युक्त निर्गमन केंद्र सरकार से संबंधित हैं और इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।